

# प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 18.03.2023

## **41.5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ 02 स्मैक माफिया/तस्कर गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री व व्यापार की रोकथाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में 02 स्मैक कारोबारी/तस्करो 1.कन्हैया कुमार पुत्र परदेशी पासवान निवासी शान्तिकोनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण (नरकटियागंज) बिहार 2.मनीष पासवान पुत्र स्व० जगदीश पासवान निवासी शान्तिकोनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण (नरकटियागंज) बिहार को अवैध स्मैक 41.5 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 101/2023 धारा 8/21 NDPS Act व मु०अ०सं० 102/2023 धारा 8/21 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता व पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. कन्हैया कुमार पुत्र परदेशी पासवान निवासी शान्तिकोनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण (नरकटियागंज) बिहार  
मु०अ०सं० 101/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. मनीष पासवान पुत्र स्व० जगदीश पासवान निवासी शान्तिकोनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण (नरकटियागंज) बिहार  
मु०अ०सं० 102/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

### बरामदगी-

नाजायज स्मैक 41.5 ग्राम

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० कुँवर गौरव सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. का० पवन यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. का० अर्जुन शर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
5. का० मनोज सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर